राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1086/2023

विजय कुमार जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.03.2023
आदेश की दिनांक : 07.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 को अपास्त फरमाया जावे और रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुआ था और उसे व्याख्याता के पद पर वर्ष 2012–13 में पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी 40 प्रतिशत विकलांग है। रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया गया और उसे बारां पदस्थापित किया गया, परंतु अपीलार्थी दिव्यांग होने के कारण उसने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2021 के द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग कर दिया। रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी के

नाम पर विचार नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा नया कैडर जो उप प्रधानाचार्य के पद का और उप प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य के पद का सृजित किया गया और उसकी प्रथम डीपीसी रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य पद के लिये अस्थायी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं जोडा गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु उसके अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया और विभाग द्वारा अंतिम पदोन्नति आदेश रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद की सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 को अपास्त फरमाया जावे और रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है और डीपीसी वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाचार्य पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति की गई थी, परंतु व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति परित्याग कर दिया गया और विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 से उप प्रधानाचार्य का नवीन पद स्वीकृत किया गया तथा उक्त पद की वर्ष 2022–23 की पदोन्नति प्रक्रिया में अपीलार्थी को सम्मिलित नहीं किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.07.2021 के द्वारा राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 को लागू किया गया है। अपीलार्थी की सेवा शर्तें भी इन्हीं नियमों के अधीन आती है। उक्त नियम के नियम 33 में यह स्पष्ट है कि यदि कोई कार्मिक पदोन्नति परित्याग करता है तो उसके संबंध में आगामी दो डीपीसी वर्ष के लिये किसी भी उच्च पद पर पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। अपीलार्थी वर्ष 2020–21 की पदोन्नति परित्याग के फलस्वरूप आगामी डीपीसी वर्ष 2021–22 तथा वर्ष 2022–23 के लिये पदोन्नति की अर्हता धारित नहीं करता है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुआ था और उसे व्याख्याता के पद पर वर्ष 2012–13 में पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी 40 प्रतिशत विकलांग है। रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया गया और उसे बारां पदस्थापित किया गया, परंतु अपीलार्थी दिव्यांग होने के कारण उसने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2021 के द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग कर दिया। रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा नया कैडर जो उप प्रधानाचार्य के पद का और उप प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य के पद का सृजित किया गया और उसकी प्रथम डीपीसी रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य पद के लिये अस्थायी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं जोडा गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु उसके अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया और विभाग द्वारा अंतिम पदोन्नति आदेश रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद की सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–5 जो अपीलार्थी द्वारा परित्याग प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया गया, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने प्रधानाचार्य पद पर हुई पदोन्नति का परित्याग किया है, परंतु अपीलार्थी द्वारा उक्त पद का परित्याग करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उप प्रधानाचार्य के नवीन पद सृजित किये गये हैं, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा परित्याग नहीं किया गया है। चूंकि अपीलार्थी ने प्रधानाचार्य के पद का परित्याग किया है न कि उप प्रधानाचार्य के पद का। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी को उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु उक्त नियम 33 के आधार पर वंचित किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 को अपास्त फरमाया जाता है एवं रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य